

बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार वित्त विधेयक, 2011



2011

बिहार वित्त विधेयक, 2011

विषय-सूची ।

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन।
3. बिहार मूल्य वर्द्धितकर अधिनियम, 2005 की धारा-14 में संशोधन ।
4. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-1 में संशोधन ।
5. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-2 में संशोधन ।
6. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-3 का प्रतिस्थापन ।
7. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-3कक में संशोधन ।
8. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-4 का प्रतिस्थापन ।
9. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-6 का प्रतिस्थापन ।
10. बिहार होटल विकास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-12 का प्रतिस्थापन ।
11. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-18 में संशोधन ।
12. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-22 में संशोधन ।
13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा (3) के परन्तुक का निरसन।
14. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-। भाग-क एवं भाग-ख का प्रतिस्थापन ।

बिहार वित्त विधेयक, 2011

प्रस्तावना— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988), बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994(बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। — (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग— I

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन—(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ख) ("जिसे इसके बाद अधिनियम 27, 2005" के रूप में निदेशित किया जायेगा) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

“(ख) अनुसूची III- में विनिर्दिष्ट वस्तुएं, पाँच प्रतिशत की दर से;”

(2) अधिनियम 27, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के बाद एक नया खंड (खख) निम्नवत् अंतर्विष्ट किया जायेगा, यथा :-

“(खख) अनुसूची IIIक- में विनिर्दिष्ट वस्तुएं—, चार प्रतिशत की दर से”

(3) अधिनियम 27, 2005 की अनुसूची III. के-बाद एक नई अनुसूची IIIक निम्नवत् अंतर्विष्ट किया जायेगा, यथा :-

अनुसूची IIIक

(देखें धारा 14)

क्रम संख्या	वस्तुएँ
1	“केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुएँ”

- (4) अधिनियम 27, 2005 की अनुसूची III में क्रमांक 55 और उसकी अनुसारी प्रविष्टि को विलोपित किया जायेगा।

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-
- अनुसूची I, II, IIIक एवं IV में अविनिर्दिष्ट वस्तुएं – साढ़े तेरह प्रतिशत की दर से "

भाग – II

बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5 1988) में संशोधन।

4. बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा-1 की उप-धारा (1) में संशोधन। – बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-1 की उप-धारा (1) में शब्द "होटलें में" विलोपित किये जाते हैं।
5. बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा-2 में संशोधन। – (1) बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-2 की उप-धारा (ड) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा –

"(ड) "होटल" से अभिप्रेत है ऐसा भवन या भवन का भाग शामिल है जिसमें भोजन एवं पेय के बिना या साथ आवास की सुविधा व्यवसाय के रूप में मूल्यवान प्रतिफल के आधार पर दिया जाता है और इसमें आवास गृह, बोर्डिंग हाउस, रेस्तराँ, क्लब एवं होलि-डे रिसॉर्ट भी सम्मिलित हैं।"

(2) बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा- 2 की उप-धारा (ड) के पश्चात् एक नई उप-धारा (डड) निम्नवत् अंतः स्थापित की जाएगी यथा-

"(डड) "व्यवसायिक हॉल" से अभिप्रेत है शादी मंडप, सामुदायिक भवन, भवन या उसका हिस्सा जिसमें खुले भाग भी शामिल हों, एवं खुला स्थान, जहाँ शादी या स्वागत समारोह या उनसे संबंधित मामलों हेतु आवास की सुविधा दिया जाता है एवं जिसमें सेमिनार, कन्फ्रेंस, बैन्क्वेट, बैठक या प्रदर्शनी सह बिक्री समेत ऐसी सुविधाएं भी सम्मिलित होगी जिसे आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, चाहे ऐसे समारोह नियमित रूप से आयोजित किये जाते हों अथवा नहीं।"

(3) बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा- 2 की उप-धारा (ज) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा –

"(ज) "विलास वस्तु" से अभिप्रेत है ऐसी वस्तुएँ या सेवायें जो जीवन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त मनोरंजन, सुख-सुविधा या आनंद के लिए दिए जाते हों और अन्य ऐसी सुख-सुविधाएं जो होटल, बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस, बैन्क्वेट हॉल, कान्फ्रेंस हॉल, खुला स्थान, व्यवसायिक हॉल, शादी का मंडप या रेस्तराँ, उसके अधिभोगियों को प्रदान किए जाते हो तथा जिनका किराया अथवा प्रभार रुपये 500 (पाँच सौ) या उससे अधिक प्रतिदिन हों।"

(4) बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-2 की उप-धारा (ट) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा –

“(ट) होटल अथवा व्यवसायिक हॉल के संबंध में “स्वामी” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसका होटल अथवा व्यवसायिक हॉल पर स्वामित्व अथवा विधि द्वारा मान्य अधिकार हो अथवा जो सचिव या प्रबंधक या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जिसे उसका प्रबंधन सौंपा गया हो और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो तत्समय ऐसे होटल अथवा व्यवसायिक हॉल के प्रबंधन के प्रभार में हो।”

(5) बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-2 की उप-धारा (ड) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा –

“(ड) (i) होटल के संबंध में “आवास के लिए प्रभार” में वातानुकूलन, टेलिफोन, टेलिफोन कॉल्स, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, अतिरिक्त बेड हेतु प्रभार शामिल है परन्तु इनमें भोजन, पेय, लौन्ड्री, या अन्य ऐसी सुविधा के लिए प्रभार शामिल नहीं होगा।

(ii) व्यवसायिक हॉल के संबंध में “व्यवसायिक हाल के लिए प्रभार” में वातानुकूलन, कुर्सी, बर्तन बासन, शामियाना, विद्युत, पानी, ईंधन, भीतरी एवं बाहरी सजावट, खुले स्थान के उपयोग के लिए प्रभार शामिल है जिसमें ऐसी कोई भी राशि जो चंदा या दान या किसी भी नाम से शादी हॉल के एवज में प्राप्त की गई हो, सम्मिलित होगा परन्तु इसमें भोजन एवं पेय के लिए प्रभार शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे, यथा स्थिति, कि कोई प्रभार होटल के आवास के लिए अथवा व्यवसायिक हॉल के बदले प्राप्त किया गया है अथवा नहीं, तो ऐसा प्रश्न आयुक्त को निदेशित किया जायेगा तथा आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।”

(6) बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-2 की उप-धारा (ढ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा –

“(ढ) “कमरों” से अभिप्रेत एवं इसमें शामिल है होटल के कमरों का सूट, बोर्डिंग हाउस, लौजिंग हाउस, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मंडप जिसमें विवाह एवं अन्य समारोहों हेतु खुला स्थान, रेस्तराँ अथवा ऐसे ही कार्य हेतु कोई अन्य कमरा सम्मिलित है”

6. बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा-3 का प्रतिस्थापन । – बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा –

“3. **कर का उद्ग्रहण**— (1) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से ऐसे होटल, कमरा या होटल में कमरों का सूट, बोर्डिंग हाउस, लौजिंग हाउस, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल अथवा व्यवसायिक हॉल जिसका प्रभार प्रतिदिन पांच सौ रूपया या उससे

अधिक हो, के आवास के लिए प्रभार या व्यवसायिक हॉल के लिए प्रभार विलास वस्तुएं पर उद्गृहीत किया जायेगा और स्वामी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कर—

(क) विलास वस्तु प्रदान करनेवाले ऐसे होटल के कमरों या कमरों का सूट, बोर्डिंग हाउस, लौजिंग हाउस जिनका प्रभार प्रतिदिन रूपया पांच सौ से अधिक परन्तु रूपया एक हजार से अनधिक हो, के आवास के लिए प्रभार पर पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(ख) विलास वस्तु प्रदान करनेवाले ऐसे होटल के कमरों या कमरों का सूट, बोर्डिंग हाउस, लौजिंग हाउस जिनका प्रभार प्रतिदिन रूपया एक हजार से अधिक हो, के आवास के लिए प्रभार पर दस प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा; एवं

(ग) विलास वस्तु प्रदान करनेवाले ऐसे व्यवसायिक हॉल जिनका प्रभार प्रतिदिन रूपया पांच सौ से अधिक हो, के आवास के लिए प्रभार पर दस प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।”

7. **बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा— 3कक में संशोधन ।** — बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा—3कक में शब्द “किसी होटल या किसी वर्ग या किसी प्रकार के होटल” के पश्चात् शब्द “किसी व्यवसायिक हॉल या किसी वर्ग या किसी प्रकार के व्यवसायिक हॉल ” अंतः स्थापित किये जायेंगे ।

8. **बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा—4 का प्रतिस्थापन।** — बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा—4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा —

“4. **स्वामी द्वारा कर का संग्रह—** धारा 3 के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक स्वामी उस व्यक्ति से जिसे उसने “यथा स्थिति किसी होटल में कोई कमरा अथवा कमरों का सूट अथवा, व्यवसायिक हॉल, विलास वस्तु के साथ दिया हो, से उक्त धारा के अधीन देय कर की रकम, आवास के लिए प्रभार अथवा व्यवसायिक हॉल के लिए प्रभार के साथ वसूल करेगा।”

9. **बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा—6 का प्रतिस्थापन।** — बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा—6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा—

“6 **विवरणी।** — इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने हेतु दायी प्रत्येक स्वामी ऐसी रीति से एवं ऐसे प्रपत्र एवं उन अवधियों के संबंध में जो विहित की जाय विवरणी सुपूर्द करेगा ।”

10. बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा-12 का प्रतिस्थापन । - बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी यथा -

“12 निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण। - (1) कर निर्धारण प्राधिकारी या इस प्रयोजनार्थ विहित कोई अन्य प्राधिकारी, अपना यह समाधान होने की दृष्टि से कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है:

(क) किसी समय किसी होटल के किसी कमरे अथवा कमरों के सूट, बोर्डिंग हाउस, लौजिंग हाउस, बैक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेन्स हॉल, व्यवसायिक हॉल, मंडप, विवाह एवं अन्य समारोह हेतु खुला स्थान, रेस्तराँ में प्रवेश कर सकेगा;

(ख) किसी होटल, बोर्डिंग हाउस, लौजिंग हाउस, बैक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेन्स हॉल, व्यवसायिक हॉल, मंडप, विवाह एवं अन्य समारोह हेतु खुला स्थान, रेस्तराँ के स्वामी से कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज अपने समक्ष पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा;

(ग) किसी कमरे का निरीक्षण उसका अधिभोग अभिनिश्चित करने के लिए कर सकेगा; और

(घ) विस्तृत जाँच के लिए किसी बही, लेखा और दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा;

परन्तु यह कि अभिगृहीत बहियों, लेखा और दस्तावेजों के संबंध में स्वामी को रसीद दे दी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे मामले में जहां स्वामी किसी होटल अथवा व्यवसायिक हॉल में प्रबंधित विलास वस्तु से संबंधित उचित लेखांकन का साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल होता हो, स्वामी को विहित रीति से सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् अधिभोग के लिए प्रभार या, यथा स्थिति, व्यवसायिक हॉल के लिए प्रभार की ऐसी राशि जिसका उचित लेखांकन किया हुआ नहीं पाया जाए, पर कर की राशि के समतुल्य राशि शास्ति के रूप में अधिरोपित करेगा।”

11. बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा-18 में संशोधन । - बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा-18 की उप-धारा (1) में शब्द “जो अपराध होने के समय, होटल” के पहले शब्द “अथवा व्यवसायिक हॉल” अंतः स्थापित किये जायेंगे।

12. बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5, 1988) की धारा-22 में संशोधन । - बिहार अधिनियम, 5, 1988 की धारा- 22 की उप-धारा (2) के पश्चात् एक नई उप-धारा (3) जोड़ी जायेगी यथा:-

“(3) जहाँ—

(क) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी कर का संग्रहण किया गया हो किन्तु उसे उक्त अधिनियम की धारा—1 की उप-धारा (1) में संशोधन के आरंभिक तिथि के पूर्व जमा नहीं किया गया हो, इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहण कर उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन जमा की जायेगी मानो धारा—1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो;

(ख) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन यथा स्थिति कोई विवरणी अथवा विवरण दाखिल करना अपेक्षित हो किन्तु उसे उक्त अधिनियम की धारा—1 की उप-धारा (1) में संशोधन के आरंभ के पूर्व दाखिल नहीं की गई हो, ऐसी विवरणी या विवरण उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन ऐसी विवरणी अथवा विवरण दाखिल करने हेतु दायी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जायेगी मानो धारा— 1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो;

(ग) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी स्वामी द्वारा किसी वर्ष के लिए कोई विवरणी दाखिल की गई हो और उस वर्ष के संबंध में कर निर्धारण उक्त अधिनियम की धारा— 1 की उप-धारा (1) में संशोधन के पूर्व नहीं किया गया हो, उस वर्ष के लिए कर निर्धारण हेतु कार्यवाही की जायगी या जारी रहेगी उक्त अधिनियम के अथवा मानो धारा 1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो; और उसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्टकर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जायगा।

(घ) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन पारित किसी आदेश अथवा किये गए किसी विनिश्चय द्वारा कोई व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा—1 की उप-धारा (1) में संशोधन के पूर्व अपील अथवा पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण आवेदन दाखिल नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति यथा स्थिति अपील अथवा पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण आवेदन उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन ऐसी अपील या आवेदन के निपटारे के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष दाखिल कर सकेगा मानो धारा—1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो;

(ङ) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन धारा 1 की उप-धारा (1) में संशोधन के पूर्व अपील अथवा पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया हो, यथा स्थिति ऐसी अपील अथवा पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण

आवेदन, उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन विहित रीति से जारी रखा जायेगा अथवा निस्तारित की जायेगी मानो धारा 1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो;

(च) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन कर की वसूली अथवा प्रतिदाय हेतु कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा (1) में संशोधन के पूर्व प्रारम्भ की गई हो, ऐसी कार्यवाही उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन विहित रीति से जारी रखी जायेगी मानो धारा 1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो;

(छ) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन कर की वसूली अथवा प्रतिदाय हेतु कोई कार्यवाही धारा-1 की उप-धारा (1) में संशोधन के पूर्व प्रारम्भ नहीं की गई हो, ऐसी कार्यवाही उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन विहित रीति से प्रारम्भ एवं जारी रखी जायेगी मानो धारा-1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो;

(ज) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 12 के अधीन कोई कार्यवाही धारा-1 की उप-धारा (1) में संशोधन के पूर्व प्रारम्भ नहीं की गई हो, ऐसी कार्यवाही उक्त अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनायी गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन विहित रीति से प्रारम्भ एवं निस्तारित की जा सकेगी मानो धारा-1 की उप-धारा (1) में संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ हो।”

भाग — III

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन

13. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उप धारा-(3) के परन्तुक का निरसन ।

उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-(3) का निम्नलिखित परन्तुक एतद् द्वारा निरसित किया जाता है :-

“परन्तु यह कि ऐसी बढ़ोत्तरी किसी भी वर्ष में अनुसूची में अंकित दर से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।”

14. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची I भाग-क एवं भाग-ख का प्रतिस्थापन ।

उक्त अधिनियम के अनुसूची I भाग-क एवं भाग-ख का निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है ।

अनुसूची I
भाग-क
वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर तालिका
[धारा 7 की उप धारा (1) देखें]

खण्ड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साईकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के बिक्री कर रहित क्रय मूल्य का 5%	एकमुश्त कर, वाहन के बिक्री कर रहित क्रय मूल्य का 5%
ब		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र –	खण्ड अ कॉलम(4) के अधीन उद्ग्रहण किया जानेवाला एकमुश्त कर का प्रतिशत	खण्ड अ कॉलम(5) के अधीन उद्ग्रहण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95%	95%
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	90%	90%
	3	तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	85%	85%
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	80%	80%
	5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75%	75%
	6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70%	70%
	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65%	65%
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60%	60%
	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55%	55%
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50%	50%
	11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	45%	45%
	12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40%	40%
	13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	35%	35%
	14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पंद्रह वर्ष से कम	30%	30%
	15	पंद्रह वर्ष से अधिक	25%	25%

अनुसूची I

भाग—ख

वैयक्तिक वाहनों के लिए कर वापसी की दर तालिका

[धारा 7 की उप धारा (2) देखें,

खण्ड	वापसी का स्केल	वाहनों की श्रेणी	
		मोटर साइकिल	व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4
	निबंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का रद्दीकरण या राज्य से वर्हिगमन किया जाता हो—	अनुसूची I भाग—क के अधीन उद्गृहित एक मुश्त कर के रूप में दिए गये कर की वापसी	अनुसूची I भाग—क के अधीन उद्गृहित एकमुश्त कर का प्रतिशत के रूप में दिए गये कर की वापसी
1	एक वर्ष के भीतर	95%	95%
2	एक वर्ष बाद परन्तु दो वर्ष के भीतर	90%	90%
3	दो वर्ष बाद परन्तु तीन वर्ष के भीतर	85%	85%
4	तीन वर्ष बाद परन्तु चार वर्ष के भीतर	80%	80%
5	चार वर्ष बाद परन्तु पाँच वर्ष के भीतर	75%	75%
6	पाँच वर्ष बाद परन्तु छः वर्ष के भीतर	70%	70%
7	छः वर्ष बाद परन्तु सात वर्ष के भीतर	65%	65%
8	सात वर्ष बाद परन्तु आठ वर्ष के भीतर	60%	60%
9	आठ वर्ष बाद परन्तु नौ वर्ष के भीतर	55%	55%
10	नौ वर्ष बाद परन्तु दस वर्ष के भीतर	50%	50%
11	दस वर्ष बाद परन्तु ग्यारह वर्ष के भीतर	45%	45%
12	ग्यारह वर्ष बाद परन्तु बारह वर्ष के भीतर	40%	40%
13	बारह वर्ष बाद परन्तु तेरह वर्ष के भीतर	35%	35%
14	तेरह वर्ष बाद परन्तु चौदह वर्ष के भीतर	30%	30%
15	चौदह वर्ष के बाद	शून्य	शून्य

15. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम की अनुसूची—1 के भाग “ग” के क्रमांक—2 के उपक्रमांक क, ख, ग, घ एवं ङ का प्रतिस्थापन ।

अनुसूची I के भाग—ग के क्रमांक—2 के उप क्रमांक क, ख, ग, घ एवं ङ क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

<p>(क) 1000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान क्षमता</p>	<p>(i) 1000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 7700/- उद्गृहीत किया जायगा ।</p> <p>परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निबंधित है उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी:</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू० 7700/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।</p> <p>(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 7700/- उद्गृहीत किया जायगा:</p> <p>परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी;</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू० 7700/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।</p>
<p>(ख) 1000 कि०ग्रा० से अधिक परन्तु 3000 कि०ग्रा० से अनधिक निबंधित लदान क्षमता</p>	<p>(i) 1001 से 3000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 5500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से देय होगा;</p> <p>परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी:</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रतिटन अथवा उसके अंश पर रू० 5500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।</p> <p>(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 5500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से उद्गृहीत किया जायगा:</p> <p>परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी;</p>

	परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रतितन अथवा उसके अंश पर रू0 5500/—से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।
(ग) 3000 कि०ग्रा० से अधिक किन्तु 16000 कि०ग्रा० से अनधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 700/— रू0
(घ) 16000 कि०ग्रा० से अधिक किन्तु 24000 कि०ग्रा० से अनधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 600/— रू0
(ङ.) 24000 कि०ग्रा० से अधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 500/— रू0

16. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची II क्रमांक-1 का निरसन ।

अनुसूची II क्रमांक-1 ' एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

वित्तीय संलेख

राजस्व घाटे पर नियंत्रण हेतु राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए कतिपय उपाय चिन्हित किये गये हैं जिनसे राजस्व में अभिवृद्धि लायी जा सके । इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसके 3 हिस्से हैं ।

- भाग-1 बिहार मुल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन
- भाग-2 बिहार होटल विलास-वस्तु कराधान अधिनियम 1988 में संशोधन
- भाग-3 बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

राजस्व घाटे पर नियंत्रण हेतु राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है । राज्य के विभाजन के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गयी है । उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व अभिवृद्धि हेतु उपाय चिन्हित किये गये हैं । कई मामले ऐसे हैं जहाँ (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद भी) लम्बे अरसे से कर/शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है । कुछ उपाय ऐसे हैं जहाँ कर की दरों के युक्तिकरण से राजस्व संग्रहण में उछाल आने की संभावना है । राजस्व अभिवृद्धि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए तीन अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है । इन अधिनियमों में अलग-अलग संशोधन करने में होनेवाले प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने के लिए वित्त विधेयक के माध्यम से इन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है । यही इस विधेयक का उद्देश्य है, और इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक सदस्य

BIHAR FINANCE BILL, 2011

A BILL

PREAMBLE : TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT, 27 2005), BIHAR TAXATION ON LUXURIES IN HOTELS ACT, 1988 (Bihar ACT 5, 1988) AND BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT 1994 (Bihar ACT 8, 1994)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bihar Finance Act 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

Part I

Amendment in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).

2. Amendment in Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—

(1) Clause (b) of sub-Section (1) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as “Act 27 of 2005”) shall be substituted by the following namely:-

“(b) the goods specified in the Schedule III, at the rate of five percent;”

(2) After Clause (b) of sub-section (1) of Section 14 of Act 27 of 2005, a new clause (bb) shall be inserted in the following way, namely:-

“(bb) the goods specified in the Schedule IIIA, at the rate of four percent;”

(3) After Schedule III of Act 27 of 2005, a new Schedule IIIA shall be inserted in the following, namely:-

“Schedule— IIIA

(See Section 14)

Sl. No.	Goods
1	Goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.”

(4) In Schedule III of Act 27 of 2005, Serial Number 55 and its corresponding entry shall be deleted.

3. Amendment in Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—

Clause (d) of sub-Section (1) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following way, namely:-

“(d) any other goods, not specified in the Schedules I, II, III, IIIA and IV, at the rate of thirteen and a- half percent.”

Part II

Amendment in Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988)

4. Amendment in Section 1 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988

(Bihar Act 5 of 1988) – In Sub-Section (1) of Section 1 of Bihar Act 5 of 1988, the words “in Hotels” shall be deleted.

5. Amendment in Section 2 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988

(Bihar Act 5 of 1988) – (1) Sub-Section (e) Section 2 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted in the following way, namely-

“(e) “Hotel” means such building or part of a building in which lodging accommodation, with or without boarding is provided by way of business for monetary consideration and includes a lodging house, boarding house, restaurant, club and holiday resorts;”

(2) After sub-Section (e) of Section 2 of Bihar Act 5 of 1988, a new sub-Section (ee) shall be inserted in the following way, namely-

“(ee) “Commercial Hall” means a Shadi Mandap, Community Hall, a building or part of a building, including open space, and open space where accommodation is provided for marriage or reception or matters related there with, including such accommodation provided for seminars, conventions, banquets, meetings or exhibition-cum-sale as may be specified by the Commissioner, whether or not such functions are conducted therein regularly;”

(3) Sub-Section (h) of Section 2 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:–

“(h) “Luxuries” means commodities or services that provide enjoyment, comfort or pleasure extraordinary to necessities of life and such other amenities as are provided in a hotel, boarding house, a lodging house, a banquet hall, a commercial hall, an open space, a conference hall, a mandap for marriage or a restaurant, to occupants there of, which carry a rent or charge of rupees Five hundred or more per day.

(4) Sub-Section (k) Section 2 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:-

“(k) “Proprietor” in relation to a hotel or a commercial hall means any person who is owning or holding it in any capacity recognized by law or the secretary or manager or any other person entrusted with the management of it and includes, the person also who, for the time being, is in-charge of the management of such a hotel or a commercial hall;”

(5) Sub-Section (m) Section 2 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:-

“(m)(i) “Charges for lodging”, in respect of a hotel, includes charges for air-conditioning, telephone, telephone calls, television, radio, music, extra-beds and the like but does not include any charges for food, drink, laundry;

(ii) “Charges for commercial hall”, includes charges for air conditioning, chairs, utensils and vessels, shamiyana, electricity, water, fuel, interior or exterior decoration, use of open space in which any amount received by way of donation or charity, by whatever name called, in relation to letting out the commercial hall is included but any charges for food and drinks is not included.

Explanation - If any question arises whether any charges are charged for lodging or, a commercial hall as the case may be, such question shall be referred to the Commissioner and the decision of the Commissioner shall be final.”

(6) Sub-Section (n) Section 2 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:-

“(n) “Rooms” means and includes a suite of rooms of a hotel, a boarding house, a lodging house, a banquet hall, a conference hall, mandap including open space for marriage and other celebrations, a restaurant or any other room used for similar purpose;”

6. Substitution of Section-3 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – Section-3 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:–

“3. Levy of tax. – (1) The tax on luxuries shall be levied and paid by the proprietor at the rate specified in sub-section (2) on the charges for lodging or the charges for commercial hall in respect of such hotel, room or a suite of rooms of a hotel, a boarding house, a lodging house, a banquet hall, a conference hall, or a commercial hall as carry a charge of rupees five hundred or more per day.

(2) The tax under sub-Section (1) shall be charged—

(a) at the rate of five percent of the charges for lodging of such rooms or suite of rooms in a hotel, boarding house, lodging house provided with luxuries, as carry a charge of five hundred rupees or more per day but less than rupees one thousand per day;

(b) at the rate of ten percent of the charges for lodging of such rooms or suite of rooms of a hotel, boarding house, a lodging house provided with luxuries, as carry a charge of one thousand rupees or more per day; and

(c) at the rate of ten percent of the charges for commercial hall provided with luxuries as carry a charge of five hundred rupees or more per day.”

7. Amendment in Section- 3AA of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – The words “a commercial hall or class or description of commercial halls” shall be inserted after the words “a hotel or class or description of hotels” in Section 3AA of Bihar Act 5 of 1988.

8. Substitution of Section-4 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – Section 4 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:–

“4. Collection of tax by proprietor.— Every proprietor liable to pay tax under Section 3 shall collect along with the charges for lodging or the charges for commercial hall, the amount of tax payable under the said Section from the person to whom a room or a suite of rooms in a hotel, or a commercial hall, as the case may be, along with luxuries is provided by him.

9. Substitution of Section-6 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – Section-6 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted by the following, namely:–

“6. Returns- Every proprietor liable to pay tax under this Act, shall submit a return in such form and such manner and in respect of such periods as may be prescribed.”

10. Substitution of Section-12 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – Section-12 of Bihar Act 5 of 1988 shall be substituted in the following, namely:–

“12. Inspection, search and seizure- (1) The Tax assessing authority or any other authority prescribed for this purpose may, with a view to satisfying itself that the provisions of this Act of Rules made there-under are being complied with—

- (a) enter any room or suite of rooms of a hotel, boarding house, a lodging house, a banquet hall, a conference hall, commercial hall, mandap, open space for marriage or other celebrations, a restaurant, at any time;
- (b) require any proprietor of a hotel, boarding house, a lodging house, a banquet hall, a conference hall, commercial hall, mandap, open space for marriage or other celebrations, a restaurant to produce before him any books, accounts or other documents and inspect them;
- (c) inspect any room or suite of rooms of a hotel to ascertain their occupancy; and
- (d) seize any books, accounts and documents for detailed examination:

Provided that a receipt shall be given to the proprietor in respect of the books of account and document seized.

(2) The authority referred to in sub-Section (1) shall, in a case where the proprietor fails to produce any evidence regarding the proper accounting of luxuries provided in a hotel or commercial hall, impose as a penalty, after allowing an opportunity of hearing in the manner prescribed to the proprietor, which shall be equivalent to the amount of tax on the charges for lodging or, as the case may be, charges for commercial hall not found to have been properly accounted for.”

11. Amendment in Section-18 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – The words “or commercial hall” shall be inserted before the words “at the time of commission of the offence” in section 18 of Bihar Act 5 of 1988.

12. Amendment in Section-22 of Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) – After sub-Section (2) of Bihar Act 5 of 1988 the following new sub-Section (3) shall be added namely—

“(3) Where-

- (a) the tax has been collected under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act Act, 1988 but the same has not been deposited before the date of commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, the tax so collected by any person under the said Act shall be deposited under the provisions of the aforesaid Act and the rules made thereunder, as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force;

(b) a return or statement is required to be filed under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988, but the same had not been filed before the commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, such return or statement, as the case may be, shall be filed under the provisions of the aforesaid Act and the rules made thereunder, as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force by the person liable to file such return or statement;

(c) a return has been filed, under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 by any proprietor for any year and no Tax assessment in respect of that year has been made before commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, the proceedings for the Tax assessment for that year shall be made or be continued as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force and such Tax assessment shall be made by the Tax assessing authority specified under Provisions of the said Act or rules made thereunder;

(d) a person aggrieved by any decision made or order passed under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 has not filed any appeal or an application for review or revision before the date of commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, such person may file an appeal or make an application for revision or review, as the case may be, under the provision of the said Act and the rules made thereunder to the prescribed authority for disposing of such appeal or application, as if the amendment to sub-Section (1) of Section-1 has not come into force;

(e) an appeal or an application for review or revision has been filed under the Bihar Taxation Luxuries in Hotels Act, 1988 before the commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, such appeal, application for review or revision, as the case may be, shall be continued and disposed of in the manner prescribed under the Provisions of the said Act or rules made thereunder as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force;

(f) any proceeding for refund or recovery of tax under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 has been initiated before the commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, such proceeding shall be continued in the manner prescribed under the provision of the said Act and the Rules framed thereunder as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force;

(g) any proceeding for refund or recovery of tax under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 has not been initiated before the commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, such proceeding shall be initiated and disposed of in the manner prescribed under the provision of the said Act and the Rules framed thereunder as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force;

(h) any proceeding under Section 12 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 has not been initiated before the commencement of the amendment to sub-Section (1) of Section 1 of the said Act, such proceeding shall be continued and disposed of in the manner prescribed under the Provisions of the said Act and the Rules framed thereunder as if the amendment to sub-Section (1) of Section 1 has not come into force.”

Part III

Amendments in Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994

- 13.** Repeal of the proviso to sub-section-3 of section-5 of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994:-

The following proviso to subsection-3 of section-5 of the said Act is hereby repealed:-

“Provided that no such increase shall, during any year exceed fifty per cent of the rate of taxes prescribed in the Schedules.”

- 14.** Substitution of the Part A and Part B of the Schedule I of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994.-

Part A and Part B of Schedule I of the Act shall be substituted by the following:-

Schedule I
Part A
Rate chart of one-time tax for Personal Vehicles
[See Sub-section(1)of Section-7]

Clause	Sl. No.	Stages of Registration	Class of Motor Vehicles	
			Motor Cycles	Motorcars and Omnibuses upto seating capacity of 12 used for personal use
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A		Upto one year of age at the time of registration or first registration	One time tax at the rate of 5% of cost of vehicle excluding sales tax	One time tax at the rate of 5% of cost of vehicle excluding sales tax
B		If the Motor vehicle is already registered and its age from the first registration is	Percentage of one time tax levied under Clause A-Column(4)	Percentage of one time tax levied under Clause A-Column(5)
	1	More than one year but not more than two years	95%	95%
	2	More than two year but not more than three years	90%	90%
	3	More than three year but not more than four years	85%	85%
	4	More than four year but not more than five years	80%	80%
	5	More than five year but not more than six years	75%	75%
	6	More than six year but not more than seven years	70%	70%
	7	More than seven year but not more than eight years	65%	65%
	8	More than eight year but not more than nine years	60%	60%
	9	More than nine year but not more than ten years	55%	55%
	10	More than ten year but not more than eleven years	50%	50%
	11	More than eleven year but not more than twelve years	45%	45%
	12	More than twelve year but not more than thirteen years	40%	40%
	13	More than thirteen year but not more than fourteen years	35%	35%
	14	More than fourteen year but not more than fifteen years	30%	30%
	15	More than fifteen year	25%	25%

Schedule I
Part B
Chart Indicating the Rate of Refund for Personal Vehicles
[See Sub-section(2)of Section-7]

Sl.No.	Scale of Refund	Class of Motor Vehicles	
		Motor Cycles	Motorcars and Omnibuses upto seating capacity of 12 used for personal use
1	2	3	4
	If after registration, cancellation of registration of the vehicle or its exit from the State takes place-	Refund of the tax paid as a percentage of one time tax levied under Schedule I Part A	Refund of the tax paid as a percentage of one time tax levied under Schedule I Part A
1	Within one year	95%	95%
2	After one year but within two years	90%	90%
3	After two year but within three years	85%	85%
4	After three year but within four years	80%	80%
5	After four year but within five years	75%	75%
6	After five year but within six years	70%	70%
7	After six year but within seven years	65%	65%
8	After seven year but within eight years	60%	60%
9	After eight year but within nine years	55%	55%
10	After nine year but within ten years	50%	50%
11	After ten year but within eleven years	45%	45%
12	After eleven year but within twelve years	40%	40%
13	After twelve year but within thirteen years	35%	35%
14	After thirteen year but within fourteen years	30%	30%
15	After fourteen year	Nil	Nil

15. Substitution of the sub serial no. (a), (b), (c), (d) and (e) of serial no.-2 of Part-C of Schedule-I of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994.--

The Sub serial (a), (b), (c), (d) and (e) of the serial no.-2 of Part-C of Schedule I shall be substituted by the following respectively:-

<p>(a) Upto 1000 kgs registered laden weight capacity</p>	<p>(i) One time tax of Rs.7700/- at the time of registration in the State for a period of ten years from the date of first registration shall be levied for goods vehicles upto 1000 kg weight capacity. Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid before ten years; Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 7700/- as taxes.</p> <p>(ii) For goods vehicles more than ten years old a one-time tax of Rs 7700/- for a period of every five years thereafter, shall be levied; Provided that one-time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten years period or fifteen years period as applicable. Provided further that no one- time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 7700/- as taxes.</p>
<p>(b) Exceeding 1000 kgs but not exceeding 3000 kgs of registered laden weight capacity</p>	<p>(i) One time tax of Rs.5500/- per ton or part thereof at the time of registration for a period of ten years from the date of first registration shall be levied on goods vehicles registered upto 1001 to 3000 kg weight capacity. Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid before ten years; Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 5500/- per ton or part thereof as taxes.</p> <p>(ii) For vehicles more than ten years old a one-time tax of Rs 5500/- per ton or part thereof for a period</p>

	<p>of every five years thereafter shall be levied;</p> <p>Provided that one-time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten years period or fifteen years period as applicable;</p> <p>Provided further that no one- time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 5500/- per ton or part thereof as taxes.</p>
(c) Exceeding 3,000 kgs but not exceeding 16,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 700/- per ton or part thereof
(d) Exceeding 16,000 kgs but not exceeding 24,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 600/- per ton or part thereof
(e) Exceeding 24,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 500/- per ton or part thereof

- 16.** Repeal of serial no.1 of Schedule II of the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994.
Serial no.1 of Schedule II is hereby repealed.